संख्या-1/2016/354/एक-13-2016-75/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ दिनांक 01जून, 2016

विषय- एन0टी0पी0सी0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर के थर्मल पावर विस्तारीकरण (द्वितीय चरण) योजनान्तर्गत आवादी भूमि क्षेत्रफल 10.236हे0 के पुनर्ग्रहण के उपरान्त राजकोष में जमा भूमि के मूल्य की धनराशि रू0 36,85,34,385/-(रू0 छत्तीस करोड पचासी लाख चौंतीस हजार तीन सौ पचासी मात्र) को पुनर्वास के पैकेज के रूप में अध्यासियों का भुगतान करने हेतु शासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-232/भू-व्यव0/एन0टी0पी0सी0टाण्डा/ विस्तारीकरण/2015-16 दिनांक 22जनवरी, 2016 एवं पत्रांक-311/भू-व्यव0/एन0टी0 पी0सी0 टाण्डा/ विस्तारीकरण/2015-16 दिनांक 22 जनवरी,2016 एवं दिनांक 05-4-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार के अनुसार तहसील टाण्डा के राजस्व ग्राम सलाहपर राजौर, हासिमपुर व हुसैनपुर सुधाना में कुल 25.28 एकड (10.236 हे0) का पुनर्ग्रहण मण्डलायुक्त फैजाबाद के आदेश दिनांक 21-2-2013 द्वारा करते हुए उसके सापेक्ष आंकलित मूल्य रू0 36,85,34,385/-(रू0 छत्तीस करोड पचासी लाख चौंतीस हजार तीन सौ पचासी मात्र) दिनांक 25-3-2013 को राजकोष के लेखाशीर्ष-0029-800-08-06 में जमा कर दी गयी। उक्त भूमि श्रेणी-6(2) की आबादी भूमि है जिसके लगभग तीन तरफ की अधिकांश भूमि परियोजना के विस्तार हेतु अधिग्रहीत कर ली गयी है। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों का आवागमन बाधित होगा तथा उनका रहन- सहन व जीवन यापन पूर्व की तुलना में अत्यन्त दुष्कर हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति में उक्त आबादी को विस्थापित करना उचित होगा। यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के पूर्व से कृषकों के कब्जे में थे जिसमें परम्परागत तरीके से काबिज चले आ रहे है। उक्त् पुनर्ग्रहीत भूमि पर काबिज कृषकों में उक्त् आंकलित धनराशि का भुगतान किया जाना है। अब तक भुगतान न हो पाने की दशा में काबिज कृषकों में असंतोष व्याप्त है और परियोजना के निर्माण में बार-बार बाधा उत्पन्न की जाती है। उक्त् के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि जनहित में आबादी श्रेणी 6(2) की उक्त भूमि का कुल मूल्य रू0 36,85,34,385/-(रू0 छत्तीस करोड पचासी लाख चौंतीस हजार तीन सौ पचासी मात्र) उन्हे वेलफेयर पैकेज के रूप में आवटंन कर दिया जाय ताकि उक्त् धनराशि कृषकों में वितरित कराकर आबादी भूमि का कब्जा एन0टी0पी0सी0 को दिया जा सके।

2- अत: श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2012-13 में चालान सं0-ए-030001 दिनांक 25-3-2013 द्वारा राजकोष के लेखाशीर्ष 0029- भू- राजस्व- 800- अन्य प्राप्तियां-08- मालिकाना राजस्व- 0806- प्रकीर्ण प्राप्तियां में जमा भूमि के मूल्य की धनराशि रू0 36,85,34,385/-(रूपये छत्तीस करोड पचासी लाख चौतीस हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तीन सौ पचासी मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 के राजस्व एंव पूंजीलेखें की प्राप्तियों के लेखाशीर्ष 0029- भू-राजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियां -90- घटाएं वापसियां से आहरण कर हितबद्व एवं प्रभावित ग्रामवासियों की आबादी भूमि के क्षेत्रफल के अनुरूप नियमानुसार भुगतान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। कृपया तद्नुसार उक्त धनराशि का आहरण कर सम्बन्धित को भुगतान कर एन0टी0पी0सी0 टाण्डा को कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-573/दस-5-2016, दिनांक 01- जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2016/354(1)/एक-13-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;-

(1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनउ।
(2) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम) / लेखा परीक्षा (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) कोषाधिकारी अम्बेडकरनगर।
(4) प्रमुख सचिव उर्जा उ0प्र0 शासन।
(5) आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
(6) महाप्रबन्धक एन0टी0पी0सी0 टाण्डा अम्बेडकरनगर।
(7) वित्त (व्यय- नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बीरबल सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।